भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE, KOCHI
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochinvigilance@rediffmail.com Phone: 0484-2390404

GEXCOM/VIG/MISC/339/2021-Vig. Date : 06.10.2021

विषय : सतर्कता जागरूकता सप्ताह, 2021 - अनुपालन - सम्बंधित |

Sub: Observance of Vigilance Awareness Week, 2021 - Regarding

कृपया उपर्युक्त विषय में सतर्कता महानिदेशालय, नई दिल्ली के पत्र V-500/110/VAW/2021/7996-8059 दिनांक 08.09.2021 एवं सीवीसी परिपत्र सं. 15/09/21दिनांक 01.09.2021 संलग्न सतर्कता महानिदेशालय, दक्षिण आंचलिक इकाई, चेन्नई से प्राप्त दिनांक 17.09.2021 के पत्र प.सं. II/27/19/2021- Dte. Vig. (प्रतिलिपि संलग्न) संलग्न मुख्य आयुक्त कार्यालय के दिनांक 22.09.2021 के संलग्न पत्र फा.सं. GCCO/VIG/MISC/107/2021-VIG- सीजीएसटी क्षेत्र तिरुवनंतपुरम कार्यालय देखें |

Please see enclosed F. No. GCCO/VIG/MISC/107/2021-VIG-O/o. CGST-ZONE-THIRUVANANTHAPURAM dated 22.09.2021 of the CCO enclosing letter C. No. II/27/19/2021- Dte. Vig. dated 17.09.2021 (copy enclosed) received from DGoV, South Zonal Unit, Chennai enclosing letter V-500/110/VAW/2021/7996-8059 dated 08.09.0201 of DGoV, New Delhi and CVC Circular No. 15/09/21 dated 01.09.2021 on the subject.

2. सतर्कता जागरूकता सप्ताह, 26 अक्टूबर, 2021 से 1 नवंबर, 2021 तक मनाया जा रहा है। सतर्कता जागरूकता सप्ताह का विषय **"Independent India @75: Self Reliance with Integrity; स्वतंत्र भारत @75: सत्यनिष्ठा से आत्मनिर्भरता" है |**

The **Vigilance Awareness Week, 2021** is being observed from **26th October, 2021 to 1st November, 2021**. The theme for Vigilance Awareness Week is **"Independent India @75: Self Reliance with Integrity; स्वतंत्र भारत @75: सत्यनिष्ठा से आत्मनिर्भरता".**

3. आयुक्तालय/मंडलों/रेंजों के सभी नियंत्रण अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे कोविड-19 दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए ऊपर उल्लिखित परिपत्र के अनुपालन में "सतर्कता जागरूकता सप्ताह" मनाएं ।

All controlling officers of the Commissionerate/Divisions/Ranges are directed to observe the "Vigilance Awareness Week" in adherence with the Circular cited above keeping in view Covid-19 guidelines. संबंधित कार्यालय प्रमुख फील्ड फॉर्मेशन में शपथ दिलाएंगे।

4. सप्ताह समारोह 26 अक्टूबर 2021 को सुबह 11.00 बजे केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क सभा भवन, 5वीं मंजिल, केंद्रीय राजस्व भवन में सत्यनिष्ठा शपथ के साथ शुरू होगा। संबंधित कार्यालय प्रमुख क्षेत्रीय कार्यालयों में शपथ दिलाएंगे। दी जाने वाली सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा (अंग्रेजी और हिंदी संस्करण) सीवीसी वेबसाइट पर उपलब्ध है। प्रतिज्ञा की पर्याप्त प्रतियां सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को उपलब्ध कराई जा सकती हैं और इन्हें सूचना पट्टों पर प्रदर्शित किया जा सकता है।

The observance of the week will commence with the Integrity Pledge at **11.00 A.M.** on **26th October 2021** in the Central Tax & Central Excise Auditorium, 5th Floor, C. R. Building. The respective Heads of Offices shall administer the pledge in the field formations. The Integrity pledge to be administered (English and Hindi version) is available in the CVC website. Sufficient copies of the pledge may be made available to all field formations and these may be displayed on the Notice Boards.

5. परिपत्र के अनुसार बैनर/पोस्टर आपके प्रभाराधीन सभी कार्यालयों में प्रदर्शित किए जा सकते हैं। सतर्कता जागरूकता सप्ताह को भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के लिए प्रौद्योगिकी के प्रयोग करने और प्रणाली में सुधार के द्वारा प्रभावी निवारक कदम के रूप में अपनाने के लिए एक अवसर के रूप प्रयोग में लाएं ।

Banners/posters in accordance with the circular may be displayed in all the formations under your charge. The Vigilance Awareness Week shall be used as an occasion to highlight the awareness about effective preventive measures undertaken through system improvements and use of information technology to fight against corruption.

6. आयोग ने "पीआईडीपीआई (सार्वजनिक हित प्रकटीकरण और मुखबिरों की सुरक्षा") के तहत शिकायतों के बारे में जागरूकता फैलाने और अभियान चलाने की भी इच्छा जताई है। इस संबंध में

पोस्टर, जैसा सुझाव दिया गया है, प्रदर्शित किए जा सकते हैं और पीआईडीपीआई संकल्प के प्रावधानों के साथ-साथ सभी संबंधित सूचनाओं के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक अभियान चलाया जा सकता है।

The Commission has also desired to spread awareness and campaign about **"Complaints under PIDPI (Public Interest Disclosure and Protection of Informers"**. Posters in this regard as suggested may be displayed and a drive may be undertaken to spread awareness regarding the provisions under the PIDPI resolution as well as all related information.

7. यह भी सुनिश्चित किया जाए कि सप्ताह मनाने के लिए किए गए खर्चों की बारीकी से निगरानी की जाए ताकि चमकदार ब्रोशर आदि लाने के माध्यम से होने वाले खर्च से बचा जा सके।

It may also be ensured that expenses incurred in connection with observance of the week be monitored closely to avoid profligate expenditure by way of bringing out glossy brochures etc.

8. आपको सप्ताह के दौरान सीवीसी की वेबसाइट www.cvc.nic.in पर जाने और एक नागरिक के रूप में ऑनलाइन सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा में भाग लेने / लेने के लिए भी निर्देशित किया जाता है। सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा के अंत में प्रतिबद्धता का प्रमाण पत्र तैयार किया जाएगा |

You are also directed to visit the CVC website **www.cvc.nic.in** during the week and participate / take the online Integrity Pledge as a citizen. The certificate of commitment shall be generated at the end of the Integrity Pledge.

9. "सतर्कता जागरूकता सप्ताह" को मनाए जाने के संबंध में एक अनुपालन रिपोर्ट निर्धारित प्रोफोर्मा में दिनांक 5 नवम्बर,2021 तक इस कार्यालय को अवश्य भिजवाएं |

A compliance report on the observance of the "Vigilance Awareness Week" shall be sent in the prescribed proforma to this office, latest by **5th November**, 2021.

10. यह परिपत्र केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्त के अनुमोदन से जारी किया जाता है |

This circular issues with the approval of the Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi.

[एस. सुरेश / S. Suresh]

सहायक आयुक्त (का. व सत.) /Assistant Commissioner (P&V)

429

सेवा में / To

संभी मंडल कार्यालयों के प्रभारी उप /सहायक आयुक्त
The Deputy/Assistant Commissioners in charge of All Divisions
(Display the banners in the building premises and Instructions to field formations regarding the observance of "Vigilance Awareness Week" may be issued)

मुख्यालय,कोचिन के सभी अपर / संयुक्त /उप /सहायक आयुक्त
All Addl./Joint/Deputy/Assistant Commissioners in Hqrs Office, Cochin.

प्रतिलिपि / Copy to:

1. मुख्यालय,कोचिन के सभी के सभी अनुभाग प्रमुख /All Section Heads in Hqrs Office, Cochin
2. अधीक्षक (जन संपर्क अधिकारी),मुख्यालय, कोचिन
   The Superintendent (PRO), Hqrs Office, Cochin, for making arrangements in connection with the observance of the Vigilance Awareness Week.
3. अधीक्षक (ई.डी.पी.) वेबसाइट में अपलोड करने हेतु / The Superintendent (EDP)for uploading in website

प्रतिलिपि प्रस्तुत है : मुख्य आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
Copy submitted to the Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone

428

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/I(3)/55/2021-ESTT

दिनांक: 09.12.2021

कार्यग्रहण रिपोर्ट

प्रमाणित किया जाता है कि कर्मचारी चयन आयोग ने वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली के पत्र फ़ा.सं. A-12034/SSC/02/2018-Ad.III.B दिनांक 15.09.2021 द्वारा नामांकित निम्नलिखित उम्मीदवारों ने अपने नाम के सामने उल्लिखित संबंधित तिथि पर केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है।

क्रम सं.	नाम (सर्वश्री / श्रीमती/ कुम.)	कार्यग्रहण करने की तिथि
1.	जी. दीपचंद	06.12.2021 -पूर्वाह्न
2.	वेमु नवीन निश्चल	06.12.2021 -पूर्वाह्न
3.	प्रजीत	06.12.2021 -पूर्वाह्न
4.	देवेन्द्र कुमार	09.12.2021 -पूर्वाह्न

[टोजो डेविस]
अधीक्षक[प्रशासन]

सेवा में :
सम्बंधित व्यक्तियाँ

प्रति प्रस्तुत है :

1. मुख्य आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि

427

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/I(34)/3/2021-ESTT

दिनांक: 30.11.2021

विषय : केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के सहायक उप निरीक्षक (हथियार) की दिनांक 01.01.2021 की वरिष्ठता सूची- सं. |

केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के सहायक उप-निरीक्षक (हथियार) की दिनांक 01.01.2021 की वरिष्ठता सूची कोच्चि आयुक्तालय की वेबसाइट - **www.cenexcisekochi.gov.in** पर अपलोड की गई है।

P. Senthil Kumar

[पी.सेंतिल कुमार]
संयुक्त आयुक्त[का.व सत.]

सेवा में :
सम्बंधित व्यक्तियाँ (पर्यवेक्षण अधिकारियों के माध्यम से)

प्रति प्रस्तुत है :

1. संयुक्त सचिव (प्रशासन), केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क, नार्थ ब्लोक, नई दिल्ली
2. मुख्य आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
3. आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
4. आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम/कोयिक्कोड/ लेखा परीक्षा/ अपील, कोच्चि
5. सीमा शुल्क निवारक आयुक्त, कोचिन

प्रति :

1. कोच्चि /कोयिक्कोड/ तिरुवनंतपुरम/ लेखा परीक्षा,कोच्चि/सी सी पी कोचिन के और मंडल कार्यालयों के प्रभारी संयुक्त /उप /सहायक आयुक्त
2. केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मु.कोच्चि के सभी अनुभाग प्रमुख
3. अधीक्षक (सिस्टम्स) वेबसाइट में अपलोड करने हेतु
4. सूचना पट्ट, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मु.कोच्चि

426

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/I(18)/1/2020-ADMN

दिनांक: 25.11.2021

विषय : अवकाश सूची -2022 का प्रेषण |

कृपया सचिव एवं खजांची, **CGEWCC,** तिरुवनंतपुरम से प्राप्त केरल में केंद्र सरकार के कार्यालयों में मनाई जाने वाली बंद छुट्टियों और प्रतिबंधित छुट्टियों की सूची प्रेषित करने वाले पत्र सं. Welfare/A&E/ CGEWC / 2021-22 दिनांक 23.11.2021 संलग्न देखें |

संलग्न : यथोपरि

[एस.सुरेश]
सहायक आयुक्त[का.व सत.]

सेवा में :

1. प्रशासनिक अधिकारी, एर्णाकुलम /काक्क्नाड/आलुवा/त्रिश्शूर/चालक्कुडी/पेरुम्बावूर/इडुक्की मंडल, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय
2. सभी अनुभाग प्रमुख, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मु.,कोच्चि/ ई डी पी कक्ष

425

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/I(13)/2/2020-Estt दिनांक: 08.10.2021

परिपत्र

विषय : दिनांक 2 अक्टूबर,2021 से दिनांक 31 अक्टूबर, 2021 के दौरान विशेष अभियान के लिए स्वच्छता अभियान और फाइलों/अभिलेखों की छंटाई |

कृपया उपरोक्त विषय पर अवर सचिव, सीएक्स-9, सीबीआईसी से प्राप्त बोर्ड का दिनांक 6 अक्टूबर, 2021 का पत्र संख्या 296/227/2021 संलग्न देखें ।

2. उक्त पत्र के अनुसार स्वच्छता अभियान चलाने के लिए सीबीआईसी के सभी कार्यालय दिनांक 09.10.2021 को खुले रहेंगे। सदस्य, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं विधिक, सीबीआईसी के दिनांक 05.10.2021 के अर्ध शासनिक पत्र में दिए गए निर्देशानुसार इस अभियान में छंटाई के लिए फाइलों की पहचान और स्क्रैप / अप्रचलित वस्तुओं के निपटान भी शामिल होगा।

3. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह सूचित किया जाता है कि कोच्चि आयुक्तालय के अधीन आने वाले सभी कार्यालय दिनांक 09.10.2021 को स्वच्छता अभियान चलाने के लिए खुले रहेंगे।

यह आयुक्त के अनुमोदन से जारी किया जाता है |

[डॉ.हरीश जे.]
संयुक्त आयुक्त[का.व सत.]

सेवा में :

उप /सहायक आयुक्त,
केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,
मुख्यालय,
एर्णाकुलम/काक्कनाड/आलुवा/
पेरुम्बावूर/इडुक्की/त्रिश्शूर/चालक्कुडी मंडल

424

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(13)/2/2020-Estt दिनांक:08.10.2021

स्थापना परिपत्र : 16/2021

निम्नलिखित पत्र की और ध्यान आमंत्रित किया जाता है |

क्रम सं.	फाइल सं. एवं दिनांक	विषय
1	GCCO /II /(3)/50/2020-ADMN	सेज़, कारबोरंडम, कलमशेरी एवं ईटीपी-1, सेज़, ट्रिवेनड्रम में सीमा शुल्क अधीक्षक के पद को भरना

उपर्युक्त पत्र की प्रति सूचना के लिए कोच्चि आयुक्तालय की वेबसाइट - www.cenexcisekochi.gov.in से डाउनलोड की जा सकती है | परिपत्र को आपके कार्यालय के अधीन कार्यरत सभी अधिकारियों के ध्यान में लाया जाए |

[एस. सुरेश]
सहायक आयुक्त[का.व सत.]

सेवा में

1. कोच्चि आयुक्तालय के सभी मंडलों के उप / सहायक आयुक्त
2. मुख्यालय कोच्चि के सभी अनुभाग प्रमुख
3. अधीक्षक (सिस्टम्स) वेबसाइट में अपलोड करने हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/7/1/2020-Estt दिनांक:06.10.2021

स्थापना परिपत्र : 15/2021

डीविश्व सीमा शुल्क संगठन (डब्लियू.सी.ओ.), सी.बी.आई.सी. से प्राप्त निम्नलिखित पत्र की और ध्यान आमंत्रित किया जाता है |

क्रम सं.	फाइल सं. एवं दिनांक	विषय
1	फा.सं.11000/2/2013-IC(ICD) दिनांक 13.09.2021	विश्व सीमा शुल्क संगठन (डब्ल्यूसीओ) टैरिफ और व्यापार निदेशालय (मूल) में तकनीकी अटैची के पद के लिए रिक्तियां

उपर्युक्त पत्र की प्रति सूचना के लिए कोच्चि आयुक्तालय की वेबसाइट - www.cenexcisekochi.gov.in से डाउनलोड की जा सकती है | नामांकन, यदि कोई हो, निर्धारित प्रपत्र में तत्काल इस कार्यालय को भेजे जा सकते हैं

[एस. सुरेश]
सहायक आयुक्त[का.व सत.]

सेवा में

1. कोच्चि आयुक्तालय के सभी वर्ग 'क' अधिकारी
2. मुख्यालय कोच्चि के सभी अनुभाग प्रमुख
3. अधीक्षक (सिस्टम्स) वेबसाइट में अपलोड करने हेतु
4. सूचना पट्ट, मु.कोच्चि

प्रति :

1. अपर आयुक्त (मु.आ.का.),मु.कोच्चि -सूचना हेतु

422

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(39)/6/2020-ESTT दिनांक:05.10.2021

स्थापना परिपत्र : 14/2021

डीजीएचआरडी, नई दिल्ली से प्राप्त निम्नलिखित पत्र की और ध्यान आमंत्रित किया जाता है |

क्रम सं.	फाइल सं. एवं दिनांक	विषय
1	फा.सं.lnW/WF-1/EXG/257/2021-WLFR-O/o ADG -I और W-DGHRD-Delhi दिनांक 13.09.2021	कोविड-19 जैसी महामारी के कारण अधिकारी/कर्मचारियों की मृत्यु के मामले में सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क कल्याण कोष से विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों के परिवार को अनुग्रहपूर्वक वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए दिशा-निर्देशों का परिशिष्ट

उपर्युक्त पत्र की प्रति सूचना के लिए कोच्चि आयुक्तालय की वेबसाइट - www.cenexcisekochi.gov.in से डाउनलोड की जा सकती है | परिपत्र को आपके कार्यालय के अधीन कार्यरत सभी अधिकारियों के ध्यान में लाया जाए |

[एस. सुरेश]
सहायक आयुक्त[का.व सत.]

सेवा में

1. कोच्चि आयुक्तालय के सभी मंडलों के उप / सहायक आयुक्त
2. मुख्यालय कोच्चि के सभी अनुभाग प्रमुख
3. अधीक्षक (मु.), केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
4. अधीक्षक (सिस्टम्स) वेबसाइट में अपलोड करने हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCO[illegible]/3/59/2021-Estt **Date: 29.12.2021**

ORDER NO. 132/2021

Sub: **Promotion to the cadre of Lower Division Clerk - Reg**

The following Havaldars are hereby promoted to the cadre of Lower Division Clerk in Level – 2 in the pay matrix (Rs. 19,900 - 63,200) plus such allowances as may be sanctioned by Government of India from time to time with effect from the date of joining the promoted post.

Sl. No.	Name (S/Shri./Smt.)	Employee Code	Present place of posting
1.	Sevona Augustine	8620	CCO-CCA
2.	Sreej[illegible].V.	3572	Central Tax and Central Excise, Kochi Commissionerate
3.	Rahul[illegible] Raj	8881	Customs Preventive Commissionerate, Cochin.
4.	Akhi[illegible]mas	9757	DRI, Kochi Zonal Unit
5.	Deep[illegible] Nair	5985	Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Commissionerate

2. The officers should join the promoted post on or after **01.01.2022** and latest by **[illegible]1.2022** failing which this order will be treated as cancelled. Refusal, if any, should be submitted in writing immediately. They will have to exercise option for pay fixation in terms of DoPT OMs dated 26.09.1981, 05.07.19[illegible] and 27.07.2017 within one month from the date of joining the promoted post. The option once exercised shall be final.

3. The compliance report by the Controlling Officers/Officers concerned regarding joining/non-joining of the officers should be sent to this office by **14.01.2[illegible]**

-420-

4. Hindi version follows.

Digitally Signed by
Padmanaban Senthil Kumar
Date: 29-12-2021 17:48:32
Reason: Approved
[P. Senthil Kumar]
Joint Commissioner [P&V]

To

The individuals (Through the supervisory officers concerned)

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kochi/Thiruvananthapuram.**
3. **The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.**
4. **The Additional Director General, DRI, Kochi Zonal Unit.**

Copy to:

1. **The Superintendent (Vig/Systems/Headquarters)/Hindi Unit, Central Tax & Central Excise Hqrs, Kochi.**
2. **The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax & Central Excise Hqrs, Kochi/CCP/Thiruvananthapuram.**